समक्ष- न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प सागर म0प्र0

मृतक छुट्टी तनय श्री रेवा नोनाचमारी के वारसान

:- मोहन तनय स्व0 श्री छुट्टी नोनाचमारी,

निवासी- ग्राम बेरखेड़ी टोडा, तहसील बीना,

जिला सागर म0प्र0 .... अपीलार्थी.

// विरुद्ध //

म0 प्र0 शासन .... प्रतिअपीलार्थी.

अपील अन्तर्गत धारा - 44 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959.

अपीलार्थी, माननीय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर म0 प्र0 के प्र0 क्र0- 684/अ-21/वर्ष 2007-08 में पारित आदेश दि0-19.09.2008 से दुखित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :-

प्रकरण के तथ्य :-

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि :-

1. यह कि, अपीलार्थी के पिता स्व0 श्री छुट्टी की कृषि भूमि ग्राम बेरखेड़ी टांड़ा, हल्का नं0- 44, रा0 नि0 मं0 बीना में खसरा नं. 124/3 एवं 135/4 का कुल रकवा 0.600 हे0 थी। उक्त भूमि शासकीय पट्टा की थी। उक्त भूमि के विक्रय किए जाने की अनुमति बावद एक आवेदन पत्र माननीय अपर कलेक्टर महोदय सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय अपर कलेक्टर महोदय सागर द्वारा आदेश दि0-27.8.2008 पारित कर निरस्त कर दिया था, जिससे दुखित होकर माननीय अपर ... के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील प्रकरण स्व0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील प्रकरण कमांक : 31/III/ 2014 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	1/ यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 684/अ–21/07–08 में पारित आदेश दिनांक 19–9–2008 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत दिनांक 11–12–2013 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में अपीलांट के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय छुटटी का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट अनपढ़ एंव देहाती होने से भूमि सर्वे नंबर 124/3 एंव 135/4 कुल रकबा 0.600 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) बोनी करने गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता ने भूमि विकय कर दी है, तब अपीलांट ने दस्तावेजों की खोज की और 24–9–13 को प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर एंव अभिभाषक से संपर्क एंव सलाह लेने पर दिनांक 11–12–13 को अपील की गई है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे । 3/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति 19–8–09 को दी है जिस पर से वादग्रस्त भूमि का विकय हुआ है। विकेता व्दारा केता को विकय प्रतिफल प्राप्त करने	

एंव भूमि विकय करने के वाद मौके पर तत्समय कब्जा प्रदान कर दिया जाता है, जबकि आवेदक अवधि विधान की धारा–5 में वर्ष 2013 में भूमि जोतने जाने का तथ्य बता रहा है वर्ष 2009 से 2013 तक आवेदक भूमि पर कृषि करता आ रहा था, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक वादग्रस्त भूमि के विकेता भूमिस्वामी छुटटी पुत्र है एंव पिता व्दारा किया गया संव्यवहार आवेदक के पुत्र होने से उस पर बंधनकारी है क्योंकि विकय अनुमति के समय अथवा भूमि विकय के समय आवेदक ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है एंव विकय पत्र के आधार पर केता के नामांत्रण के समय भी कोई आपत्ति नहीं की है, जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 में वर्णित तथ्य अविश्वसनीय होने से आवेदक लाभ पाने का पात्र नहीं है।

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य